

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 823/2016/जोधपुर

मैसर्स जनता मिष्ठान भण्डार,
सिवांची गेट, जोधपुर
बनाम

.....अपीलार्थी

1. सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोधपुर
2. अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, जोधपुर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री के.एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामविलास सोनी,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 01/05/2018

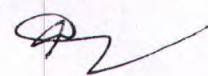
निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 2/आरवैट/जेयूई/15-16 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.03.2015 में आरोपित की गई मांग राशि को यथावत रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार की गई। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म मिठाइयां, नमकीन कचौरी आदि का निर्माता एवं विक्रेता है। अपीलार्थी फर्म के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 13.03.2015 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। सर्वेक्षण के दौरान 21 लूज पर्चियां पायी गयी। उक्त लूज पेपर्स (पर्चियों) में उल्लेखित माल अपीलार्थी द्वारा उत्पादन/निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की खरीद

लगातार.....2

से संबंधित होना बताया गया जिसका नियमित लेखा पुस्तकों से मिलान/सत्यापन करवाने पर समस्त पर्चियों की खरीद बिना इन्द्राज के पायी गयी। उक्त पाये गये 21 लूज पेपर्स की ऑडिट पश्चात् कुल उच्चन्त खरीद कीमत रुपये 95,30,646/- माल की सूची वैट मैनेजर की मौजूदगी में तैयार की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवायी का अवसर प्रदान कर अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2015 वर्ष 2014-15 का पारित कर व्यवसाय स्थल पर पाये गये लूज पेपर्स की करापवंचित/उच्चन्त खरीद को बिक्री माना जाकर कर रुपये 5,85,181/-, शास्ति रुपये 11,70,362/- एवं ब्याज रुपये 11,560/- आरोपण किया गया। उक्त आदेश अस्थायी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण करते हुए अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.01.2016 द्वारा व्यवसायी की अपील को अस्वीकार किया, जिसके विरुद्ध यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि अस्थायी कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2015 तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी ने नियमित कर निर्धारण आदेश वर्ष 2014-15 दिनांक 15.03.2017 को पारित कर दिया है।
4. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजा ग्लास हाऊस (1989) 75 STC 417 (Raj.) तथा सी.पी. ऑटोमोबाइल्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (S.B. STR No. 866/2003) निर्णय दिनांक 18.07.2003 के प्रकरणों में दिये गये निर्णयों को उद्धरित करते हुए कथन किया कि व्यवसायी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष दिये गये अपने बयानों में करवंचना सम्बन्धी अग्राध स्वीकार कर लिये जाने की दशा में शास्ति आरोपण पूर्णतः विधिसम्मत है। अतः उन्होंने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की।
5. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ज्ञातव्य है कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 13.03.2015 को किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर कुछ लूज पेपर्स ऐसे पाये गये थे जिनका सत्यापन अपीलार्थी की लेखा पुस्तकों से नहीं हो पाया था लिहाजा सक्षम अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.03.2015 द्वारा इन लूज पेपर्स

में पाये गये संव्यवहारों को उच्चन्ती खरीद मानते हुए इसे मिठाई निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करना पाया एवं इसमें लाभांश जोड़ते हुए आकलित की गई बिक्री राशि पर कर एवं शास्ति का आरोपण किया गया। सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में अपीलार्थी फर्म के बिजनेस मैनेजर श्री सुरेश कुमार शर्मा के सर्वेक्षण के समय लिये गये बयानों पर गौर किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं :-

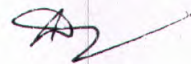
“आगे पूछताछ पर बयान करता हूँ कि हमारी फर्म का A/c Computerised व अंग्रेजी विधि में रखे जाते हैं। मेरे द्वारा व्यापार खाता पेश किया गया। सर्वेक्षण दौरान व्यवसाय स्थल पर 21 लूज पर्चियाँ पाई गई, जिसके द्वारा राशि रु. 9530646 कच्चा माल एवं पैकिंग मैटेरियल खरीद से संबंधित है। हमारे द्वारा इस खरीदे गये माल का मिठाई बनाने में प्रयुक्त कर दिया है। इस लूज पर्चियों के द्वारा मंगाये गये कच्चे माल का इन्द्राज हमारे लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। उक्त बयान Vat Manager की हैसियत से दिये गये एवं पढ़कर समझकर सही होने पर हस्ताक्षर किये गये।”

6. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा जो प्रत्युत्तर पेश किया गया है, वह निम्न प्रकार है:-

“निवेदन है कि दिनांक 13.03.15 को हमारी फर्म का सर्वे किया गया। सर्वे में लूज पर्चियों के द्वारा कच्चा माल खरीद करना पाया गया। आप द्वारा दिये गये नोटिस के तथ्य हमें स्वीकार हैं। उचन्ती बिक्री रुपये 1,17,03,633/- को स्वीकार करते हैं। इस राशि पर बनने वाले Tax, Penalty, Intt. के चैक प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूँ। कृपया केस का आज ही फैसला कर निपटारा करावे।”

7. रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी के बिजनेस मैनेजर द्वारा अपने बयानों में तथा बाद में नोटिस के प्रत्युत्तर में लूज पेपर्स में उल्लिखित संव्यवहारों को उसके उत्पाद-मिठाई के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामग्री बताया है जिनका लेखा पुस्तकों में इन्द्राज नहीं होना भी स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी की स्पष्ट स्वीकारोक्ति के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजा ग्लास हाऊस (1989) 75 STC 417 (Raj.) के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यवहारी की स्पष्ट स्वीकारोक्ति होने की दशा में शास्ति का आरोपण पूर्णतः उचित है। इस निर्णय के मुख्य निणर्याश निम्न प्रकार हैं :-

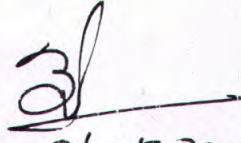
3/

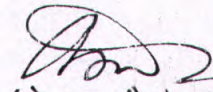


"The assessee admitted in his statement, annexure B, on the record on oath that the tax was not paid by him. In view of the categorical admission there was no difficulty for the assessing authority to have levied the penalty as aforesaid. In view of the categorical admission by the assessee, there was no occasion to interfere with the order of assessment either by the appellate authority or by the Tribunal."

उक्त निर्णय में स्थापित किया गया उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है, अतः करवचना की स्पष्ट स्वीकारोक्ति होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति का जो आरोपण किया गया है वह पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है, अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।


01.05.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य


(के.एल. जैन) 11/5/2018
सदस्य